नगर निगम नहीं अब यूपीसीडा को जिम्मेदारी, ड्रेनेज सिस्टम-जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा

बदलाव : औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और रखरखाव अब यूपीसीडा करेगा

फैसला

■ सलीम अहमद

मेरठ। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का जिम्मा प्रदेश सरकार ने नगर निगम के बजाए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सौंपा है। मेरठ में तीन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों उद्योगपुरम, परतापुर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अब नगर निगम नहीं बल्कि यूपीसीडा संवारेगा।

यूपीसीडा इन औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, टेलीफोन स्टेशन, बिजली सब स्टेशन, फर्नीचर, बाउंड्री वाल, एंट्री गेट आदि सुविधाओं का विकास कराएगा। ड्रेनेज सिस्टम व जल आपूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा।यूपीसीडा अफसर औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराएंगे। जिसके जरिए चिह्नित कार्यों को पूरा करने का चरणबद्ध एक्शन प्लान तैयार होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिटेल सर्वे व साइट एनालिसिस को प्रयोग में लाया जाएगा। मौजूदा कार्य योजना के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 31 प्रकार के विकास व अपग्रेडेशन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इनमें लोक निर्माण विभाग के मानकों तथा यूपीसीडा की जरूरतों अनुसार एफडीआर तकनीक से सड़क निर्माण (लेन मार्किंग, स्ट्रीट फर्नीचर, कैट्स आई, कर्ब स्टोन की पेंटिंग सहित), एक्सटर्नल व इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना, जल आपूर्ति, सीईटीपी व एसटीपी की स्थापना जैसे कार्यों को पूरा किया जाएगा।

नगर निगम के बजाए औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव और विकास कार्य यूपीसीडा द्वारा कराए जाने का शासनादेश प्राप्त हो गया। अब नगर निगम का उद्योगपुरम, परतापुर और स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्पलेक्स में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यूपीसीडा ही उद्यमियों से राजस्व वसूलेगा। जो राजस्व आएगा उससे औद्योगिक क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक एवं सरकार का प्राथमिकता के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। पूरी तरह से यूपीसीडा का फोकस औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा।

–राकेश झा, आरएम यूपीसीडा मेरठ

अभी तक यह होता था

अब तक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर साफ सफाई के अलावा नाली खंड़जों आदि की जिम्मेदारी नगर निगम की होती थी। नगर निगम ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी नगर निगम से वापस ले ली गई है। अब यह होगा : शासनादेश के मुताबिक अब यूपीसीडा खुद उद्यमियों से यूजर चार्ज लेगा और उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ औद्योगिक विकास के कार्य भी उद्यमियों से वसूले जाने वाले राजस्व से ही कराए जाएंगे। एफडीआर तकनीक से सड़कों के निर्माण के साथ अवस्थापना समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया

प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक यूपीसीडा और नगर निगम क्षेत्र का मानचित्र के अनुसार सीमांकन किया जाएगा। यूपीसीडा को कहा है कि वह औद्योगिक क्षेत्र में सफाई, कूड़ा निस्तारण, सीवेज निस्तारण रख रखाव आदि सुविधाओं की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराए। औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नगर निगम की सुविधाओं का अवसंरचना के अनुसार उपयोग किया जाएगा। सुविधाएं उपलब्ध कराने को यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्र के आवंटियों से नियमानुसार शुल्क आदि लेकर खुद वित पोषण के आधार पर म्यूनिसिपल सर्विसेज उपलब्ध कराए।